फोन/Phone: 91-22-6656 5656

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
MUMBAI PORT TRUST

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-मुअ/4923 20 दिसंबर 2021

भर्ती सूचना

अध्यक्ष
सभी महापत्तन न्यास

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में मिश्रित पद्धति के जरिए समावेशन द्वारा मुख्य **अभियंता** (विभाग प्रमुख) का पद भरना.

------

1. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में मुख्य **अभियंता** का पद दि. 1.6.2022 से रिक्त होगा. उसका वेतनमान रुपये 100000-260000 (पूर्व संशोधित रुपये 43200-66000) है. यह पद मिश्रित पध्दति के जरिए से महापत्तन न्यासों से अधिकारियों का समावेश कसके भरा जाना है. जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक-I** में है.

2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए एपीएआरस में समग ग्रेडिंग "वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. दि.19.11.2019 के मंत्रालय के पत्र के दिशा-निर्देशानुसार पदभोगी को शुरु में रुपये 100000-260000 (पूर्व संशोधित रुपये 43200-66000) के वेतनमान में विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जायेगा और पद पर तीन साल की नियमित सेवा पूरी होने के बाद संबंधित शर्तो को पूरा करने के उपरान्त उसे रूपये 120000-280000 (पूर्व संशोधित रुपये 51300-73000) के वेतन मान तक बढाया जाएगा. यह ध्यान रखा जाय कि समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्देशित किसी भी परिवर्तन को अपने आप लागू किया जा सकता है.

4.1 **अनुलग्नक- I** के अनुसार रुपये 100000-260000 के वेतनमान में मुख्य **अभियंता** के पद के लिए निर्धारित योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तों के साथ सभी महापत्तन न्यासों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **21.12.2021 से 21.1.2022** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट http://onlinevacancy.shipmin.nic.in के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4.2 उम्मीदवार को ओएपी में पहले से अपलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआऊट अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा. प्रशासनिक पत्तन को दिनांक **7.2.2022** को या उससे पहले

उम्मीदवार के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर **"मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में मुख्य अभियंता के पद के लिए आवेदन"** इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करना होगा.

(i) पिछले 5 वर्षों की (1.4.2015 से 31.3.2020 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;

(ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण जो मंत्रालय के दिनांक 1.2.2007 के पत्र के अनुसार उपाध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;

(iii) संबंधित पद एवं वेतनमान के लिए सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपी तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान पिछले कार्य का अनुभव प्रमाणित करना आवश्यक है.

(iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.

(v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो उम्मीदवार वापस नहीं ली जाएगी, तथा

(vi) संलग्न प्रोफार्मा **(अनुलग्नक-II)** के अनुसार संबंधित पोर्ट की सतर्कता और प्रशासनिक अनापत्तिया;

(vii) दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ.

4.3 पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि उसका आवेदन पोर्ट द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथी के 15 दिनों के भीतर तक प्राप्त नहीं हुआ तो मंत्रालय द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा.

5. पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 की पत्र सं.26/25/2013 पीई-I के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथी अर्थात **<u>1.6.2022</u>** होगी.

6. यदि पिछले 10 वर्षो के दौरान आवेदक पर कोई बडा या मामूली दण्ड की और लगानेवाला अनुशासनिक मामला आवेदन के साथ अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा भेजा जा सकता है. पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 17.8.2010 की पत्र संख्या I-26/18/2010 पीई-I तथा दिनांक 20.1.2021 की पत्र सं.A-12022/10/2005- पीई.I के अनुसार सर्तकता रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में दी जानी है, जिसकी प्रति **अनुलग्नक -III** में संलग्न है.

7. मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार महा पत्तन न्यासों में विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, पोर्ट अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वह भविष्य में दो वर्षों के लिए विभाग प्रमुख पद के चयन के मामले में रोक के लिए उत्तरदायी होगा.

8. नियत तिथी के पश्चात या निर्धारित प्रक्रिया के बाद आवेदन या अपूर्ण आवेदन या देरी से प्राप्त आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,

संलग्न. यथोक्त.

सचिव
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

सिविल इंजिनियरिंग विभाग

अनुलग्नक -I

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73.	मुख्य अभियंता	1	श्रेणी - I (विभाग प्रमुख)	रुपये 100000-260000 (केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ तीन साल की नियमित सेवा के बाद वेतनमान को रुपये 120000-280000 के वेतन के स्तर तक बढाया जाएगा.)	चयन	45 वर्ष	अनिवार्य : i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से नागरी अभियांत्रिकी में पदवी या समकक्ष. ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में योजना/ निर्माण/अभिकल्प/अनुरक्षण विशेषकर पोर्ट एवं समुद्री संरचना में कार्यकारी संवर्ग में सत्रह वर्षों का अनुभव.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पध्दति द्वारा विलयन से अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने से सीधी भर्ती द्वारा	सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महा पत्तन न्यास के सिविल इंजिनियरिंग विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000-220000 रु के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे. प्रतिनियुक्ति के लिए, मुख्य अभियंता के तत्समान पद या सिविल इंजिनियरिंग विभाग के रुपये 100000-260000 के वेतनमान में 2 साल नियमित सेवा वाले अधिकारी या उप मुख्य	

												अभियंता और सिविल इंजिनियरिंग मे रुपये 80000-220000 या उससे अधिक वेतनमान में 5 साल की नियमित सेवा के साथ सरकारी/ अर्धसरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निगमों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी (महा पत्तन न्यास के अलावा) पात्र होंगे. योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में संपूर्ण श्रेणीकरण का स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए.	

अनुलग्नक-II

कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती --------------------------

पद --------------------------------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2015 से 31.3.2020) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1. अधिकारी का नाम (संपूर्ण) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवा निवृत्ति की तिथि :
5. सेवा प्रविष्ठि की तिथि :
6. अधिकारी के सेवा से संबंधित
   वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है :
7. संशोधित वेतनमान :
8. क्या वार्षिक संपत्ती विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत किया है:
9. वार्षिक संपत्ती विवरणी प्रस्तुत करने कि तिथी:
10. वर्तमान स्थिति (पूर्व दस वर्षों के दौरान)

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक
1					
2					
3					

11. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, यदि ऐसा है तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण.

12. क्या अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि ऐसा है तो तिथि के अनुसार संदर्भ एवं विवरण दें.)

13. क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ विस्तृत विवरण दें.)

तिथि : (विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

---

14. यदि अधिकारी को "सहमत सूची" पर रखा गया हो या नहीं "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" (यदि हां, तो दिया हुआ विवरण)

15. यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हां तो परिणाम (*)

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नही है.

तिथि : (मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.

Sect/hr/gad/hindi-oct-2020/Secretary/Annexure-III